

बिहार सरकार,
जन शिकायत कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

आर० जे० एम० पिल्लै,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक-19 अगस्त, 2008.

विषय:- सचिवालय विभागों/निदेशालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य सचिव का पत्रांक-2462 दिनांक-30.04.2008.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जन शिकायत मामले की समीक्षा करते हुए यह तथ्य उजागर हुई कि कतिपय सचिवालय एवं निदेशालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा समय पर कार्यालय नहीं आने एवं समय के पूर्व ही कार्यालय परिसर परित्याग करने से जन शिकायत के निष्पादन में स्पष्टतः कुप्रभाव पड़ रहा है।

संभवतः आप अवगत होंगे कि जन शिकायत सरकार के सर्वोच्च प्राथिकताओं में से एक है एवं एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। त्वरित गति से जन शिकायतों का निष्पादन से ही आवाम में खुशहाली संतुष्टि एवं प्रगति संभव है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ससमय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचिवालय एवं निदेशालय में आना सुनिश्चित करते हुए विभाग के अनर्तगत् जन शिकायत कोषांग को भी पूर्णतः क्रियान्वित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(आर० जे० एम० पिल्लै)
मुख्य सचिव, बिहार।